



भारत में समलैंगिक विवाह

प्रलिस के लयः

[समलैंगिक वलवऱह](#), धऱरऱ 377, ढऱरतीढ दंड संहतऱ (IPC), [समलैंगकऱतऱ](#), [LGBTQ सढुदऱढ](#), [सर्वोच्च नऱढऱलऱढ](#), [उच्च नऱढऱलऱढ](#), [संवधऱन डीठ](#)

ढेन्स के लयः

[समलैंगिक वलवऱह](#) को वैध बनऱने की ऱऱचकऱऱओं डर [सर्वोच्च नऱढऱलऱढ](#) के नरऱणढ कऱ सऱढऱकऱ तऱने-ढऱने ऱरऱ ढऱरतीढ सढऱकऱ की डरगतऱडर डरढऱव

[सुरोतः इंडऱडऱन ँकसडररस](#)

चरुऱ ढें कऱरुओं?

हऱल ही ढें [सर्वोच्च नऱढऱलऱढ](#) ने [समलैंगिक वलवऱह](#) को वैध बनऱने की ऱऱचकऱऱओं को खऱरङऱ करते हुऱऱ ँडनऱ लंबे सढढ से डरतीकषतऱ नरऱणढ सुनऱढऱ है ऱरऱ ँस ढुददे की डुरी तरह से ञऱँच करने के लऱडऱ [वशऱष वलवऱह ँधनऱडऱढ, 1954](#) के डरऱवधऱनऱं डर गहनतऱ से वऱऱर कऱडऱ है, ञनऱकऱ [समलैंगकऱतऱ](#) के सऱथ ँढसऱरण ँवं ँंतरसंबंध है ।

सर्वोच्च नऱढऱलऱढ की टडऱडणऱः

- संवधऱनकऱ वैधतऱ के वरऱदुधः
 - [ढऱरत के ढुखऱ नऱढऱढऱधीश](#) की ँधऱकषतऱ ढें ढऱरत के सर्वोच्च नऱढऱलऱढ की डऱँच-नऱढऱढऱधीशऱं की संवधऱन डीठ ने समलैंगिक वलवऱह को संवधऱनकऱ वैधतऱ की ँनुढतऱऱदेने के खलऱडऱ 3:2 से ढतदऱन कऱडऱ ।
- संसद कऱ डऱढेनः
 - CJI ने ँडनी रऱड ढें नषऱकरष दऱडऱ कऱ नऱढऱलऱढ [SMA 1954](#) के दऱडरे ढें समलैंगिक सदसऱरुओं को शऱढलऱ करने के लऱडऱ [वशऱष वलवऱह ँधनऱडऱढ \(SMA\) 1954](#) को न तो ँढऱनऱ कर सकतऱ है ऱरऱ न ही ँसढें डरऱवधऱन ञऱडे ञऱ सकते हैं । शीरष नऱढऱलऱढ ने कऱहऱ कऱ ँस डर कऱनून बनऱनऱ [संसद](#) ऱरऱ [रऱकऱड वधऱनढंडल](#) कऱ दऱडतऱव है ।
- ँनऱड टडऱडणऱरुडऱः
 - हऱलऱँकऱ [सर्वोच्च नऱढऱलऱढ कऱ कऱहऱनऱ है कऱ वैवऱहकऱ संवधऱन सऱथऱडऱ नऱहीं है ।](#)
 - [SC कऱ ढऱननऱ](#) है कऱ समलैंगिक वऱकऱतऱरुडऱं को "संघ" ढें डरवेश करने कऱ सढऱन ँधकऱर ऱरऱ स्वतंतुरतऱ है ।
 - [डीठ के सढी डऱँच नऱढऱढऱधीश](#) ँस ढऱत डर ढी सहढत थे कऱ संवधऱन के तहत [वलवऱह करने कऱ कोऱई ढऱलकऱ ँधकऱर नऱहीं है ।](#)

CJI ऱरऱ नऱढऱढूरतऱ कऱल (ँलडसंखऱक रऱडऱ): समलैंगिक ञऱडेऱं के लऱडऱ [सवलऱलऱ डूनऱडऱन](#) के वसऱतऱर कऱ सढरुथन कऱडऱः

- 'सवलऱलऱ डूनऱडऱन' उस कऱनूनी सऱथतऱऱ को संदरुढतऱ करतऱ है ञऱ समलैंगिक ञऱडेऱं को वशऱषऱऱ ँधकऱर ऱरऱ ञऱढऱढेदऱरऱरुडऱं डरदऱन करती है, डे सऱढऱनऱडऱः वलवऱहतऱ ञऱडेऱं को डरदऱन की ञऱती है । हऱलऱँकऱऱऱक नऱगरकऱ संघऱऱक [वलवऱह ञैसऱ डरतीत हुऱतऱ है](#), [लेकनऱ डरसऱनल लऱं ढें ँसे वलवऱह के सढऱन ढऱनऱडऱ डरऱडत नऱहीं है ।](#)

ढऱरत ढें समलैंगिक वलवऱह की वैधतऱः

- वलवऱह करने के ँधकऱर को ढऱरतीढ संवधऱन के तहत [ढऱलकऱ ऱऱ संवधऱनकऱ ँधकऱर](#) के रूड ढें सडऱषुट रूड से ढऱनऱडऱ नऱहीं दी गई है, ढलकऱऱ ऱह ँक वैधऱनकऱ ँधकऱर है ।
- हऱलऱँकऱ वलवऱह को वढऱनऱन वैधऱनकऱ ँधनऱडऱढऱं के ढऱधऱड से वनऱडऱढतऱ कऱडऱ ञऱतऱ है, लेकनऱ ढऱलकऱ ँधकऱर के रूड [ढेंसकी ढऱनऱडऱ केवल ढऱरत के सर्वोच्च नऱढऱलऱढ के नऱढऱकऱ नरऱणऱं के ढऱधऱड से वकऱसतऱ हुऱई है ।](#) कऱनून की ँरुसी घऱषणऱ संवधऱन के [ँनुऱछेद 141](#) के तहत डुरे ढऱरत

में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

■ समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विचार:

- मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य 2018):
 - **मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा** के अनुच्छेद 16 और **पुट्टासवामी मामले** की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 21** का अभिन्न अंग है।
 - **अनुच्छेद 16(2)** के अनुसार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, नविस या इसमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
 - **विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिये** केंद्रीय मामलों पर नरिणय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। आस्था और विश्वास संबंधी मामले, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी पर विश्वास करना चाहिये अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में हैं।
- **LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है (नवतेज सहि जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य, "अन्य सभी नागरिकों की तरह, संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी शृंखला के हकदार भी हैं" और समान नागरिकता तथा "कानून के समान संरक्षण" के भी हकदार हैं।

वशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954:

■ परिचय:

- भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुसलिम परसनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 या वशेष विवाह अधिनियम, 1954** के तहत पंजीकृत किये जा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
- **वशेष विवाह अधिनियम, 1954** में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिये नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो।
- जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह संपन्न करता है, तो **विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि वशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।**

■ वशेषताएँ:

- यह दो **अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है।**
- यह **विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण दोनों के लिये** प्रक्रिया निर्धारित करता है, जहाँ पति या पत्नी या दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं।
- एक **धर्मनिरपेक्ष अधिनियम** होने के नाते यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क:

- **कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा:** सभी व्यक्तियों को उनके यौन रुझान की परवाह किये बिना **विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार** है।
 - समान-लिंग वाले जोड़ों को विपरीत-लिंग वाले जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिये।
 - समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलना **भेदभाव के समान** है जो **LGBTQIA+** जोड़ों की गरिमा पर गहरा आघात है।
- **परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाना:** विवाह, जोड़ों एवं उनके परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करता है जिससे समान-लिंग वाले लोगों को भी लाभ होगा।
- **मौलिक अधिकार के रूप में सहवास:** **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** ने स्वीकार किया कि सहवास एक मौलिक अधिकार है और ऐसे रश्तों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से पहचानना सरकार का दायित्व है।
- **जैविक लिंग 'पूर्ण' अवधारणा नहीं है:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि **जैविक लिंग पूर्ण** अवधारणा नहीं है और यह किसी के जननांगों से भी अधिक जटिल है। इसमें **पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है।**
- **वैश्विक स्वीकृति:** विश्व भर के कई देशों में समलैंगिक विवाह वैधानिक है और लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
 - **32 देशों में समलैंगिक विवाह वैध है।**

समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क:

- **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होना चाहिये।
 - उनका तर्क है कि **विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनकी मान्यताओं और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध** होगा।
- **प्रजनन:** कुछ लोगों का तर्क है कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन है और **समान-लिंग वाले जोड़े जैविक रूप से जनन नहीं कर सकते।**
 - इसलिये उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि यह संसार के प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है।

